मुस्लिम छात्रावास भूमि आवंटन के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग

जयपुर के सांगानेर में मुस्लिम छात्रावास को भूमि आवंटन के विरोध में सांगानेर बचाओ संघर्ष समिति के आव्हान पर करीब हिंदू समाज के पांच हजार लोगों ने पिंजरापोल गोशाला से आवासन मंडल कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। इसके बाद वहां प्रदर्शन किया।

- **सांगानेर व प्रताप नगर स्वेच्छा से रहा बंद, सैकड़ों महिलाएं व पुरूषों ने प्रताप नगर हाउसिंग बोर्ड कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की**

जयपुर। गुरुवार को जयपुर के सांगानेर में मुस्लिम छात्रावास को भूमि आवंटन के विरोध में सांगानेर बचाओ संघर्ष समिति के आव्हान पर पूरा सांगानेर प्रताप नगर स्वेच्छा से संपूर्ण बंद रहा। भूमि आवंटन के विरोध में करीब 5000 की संख्या में हिंदू समाज ने पिंजरापोल गोशाला से आवासन मंडल कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला।

प्रवक्ता रविन्द्र शर्मा ने बताया कि राजस्थान आवासन मण्डल ने हाल ही में प्रताप नगर सेक्टर-3 में एक हजार बच्चों के लिए मुस्लिम छात्रावास बनाने के लिए 5000 वर्गमीटर भूमि का निशुल्क आवंटन किया है। इस आवंटन को रद्द करने के लिए सांगानेर बचाओ संघर्ष समिति और हिन्दू समाज के लोग सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च निकाला। सांगानेर बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष अर्जुन सिंह सिसोदिया की ओर से निकाले गए मार्च को सांसद रामचरण बोहरा और विधायक अशोक लाहोटी का भी समर्थन मिला। रविंद्र शर्मा ने कहा कि सरकार ने इससे पहले यहां हज हाउस के लिए भूमि आंवटन की थी जिसका हमने विरोध किया था। उसके बाद उसका आवंटन रद्द किया गया था। सांसद बोहरा ने कहा कि सरकार ने मुस्लिम छात्रावास बनाने के लिए 5000 वर्गमीटर भूमि का निशुल्क आवंटन किया है। 99 प्रतिशत हिन्दू जनता के बीच में मुस्लिम छात्रावास की कोई आवश्यकता नहीं है। समिति के अशोक सिंह ने बताया कि इससे पहले 14 मई को सांगानेर प्रताप नगर स्थित सेक्टर-3 जोन-35 में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा मुस्लिम छात्रावास के निर्माण के लिए भूमि का निशुल्क आवंटन किये जाने के विरोध में सांगानेर बचाओ संघर्ष समिति की ओर से सोमवार को कृष्णा गार्डन, सैक्टर-3 में बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में महामण्डलेश्वर बालमुकुन्दाचार्य महाराज, बडा रामद्वारा रामदयाल महाराज, अर्जुन सिंह सिसोदिया सहित सांगानेर और प्रताप नगर के प्रबुद्धजनों ने भाग लिया। बैठक में हिन्दू समाज ने 18 मई को सांगानेर बन्द का आव्हान किया था। रविन्द्र शर्मा ने बताया कि की प्रताप नगर में किसी भी हालात में मुस्लिम छात्रावास नहीं रहेगा। सांगानेर बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अर्जुन सिंह सिसोदिया ने बताया कि राजस्थान आवासन मण्डल ने हाल ही में प्रताप नगर सेक्टर-3 में एक हजार बच्चों के लिए मुस्लिम छात्रावास बनाने के लिए 5000 वर्गमीटर भूमि का निशुल्क आवंटन किया गया है। इस आवंटन को रद्द करने के लिए सभी हिन्दू समाज के करीब 1 हजार, 1500 लोगों ने सेक्टर तीन की सभा में एक साथ इसका विरोध करने का आव्हान किया और कहा कि 99 प्रतिशत हिन्दू जनता के बीच में मुस्लिम छात्रावास की कोई आवश्यकता नहीं है। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा, पूर्व संसदीय सचिव डॉ.कैलाश वर्मा, बार्ड 99 से पार्षद प्रतिनिधि ब्रमप्रकाश शर्मा सांगानेर से करन यादव समाजसेवी शंकर लाल बागड़ा, चेयरमैन शंकर लाल शर्मा, अशोक सिंह निलेश पुरोहित सहित आमजन के साथ सामाजिक संगठनों मौजूद थे।

महरिया आज थामेंगे भाजपा का दामन

जयपुर। प्रदेश में चुनाव समय नजदीक आते ही राजनीतिक उठापटक भी शुरू हो गई है। इसी के बीच शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया भाजपा का दामन थामेंगे। महरिया सुबह 10 भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित महरिया के सैकड़ों कार्यकर्ता एवं भाजपा नेता मौजूद रहेंगे। महरिया तीन बार सांसद रहे हुए हैं। हालांकि 2009 में चुनाव हारने के बाद 2014 में भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया। जिससे नाराज होकर मेहरिया ने 2019 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट से सीकर से सांसद का चुनाव लड़ा और स्वामी सुबेदानन्द के सामने चुनाव हार गए। महरिया 2004 में केंद्रीय राज्यमंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय में रहे।

कांग्रेस का बिजली के बिल नहीं बढ़ाने का वादा हवा-हवा हो गया : सी.पी.जोशी

- **'कुर्सी के चक्रव्यूह में ही फंसे रहे, कैसे पूरे होते घोषणा पत्र के वादे'**

जयपुर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी आज चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे। प्रतापगढ़ में मीडिया विभाग में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में बिजली के बिल नहीं बढ़ाने का वादा हवा-हवा हो गया। यह सरकार जब से सत्ता में आई है, कुर्सी के चक्रव्यूह में ही फंस कर रही गई, ऐसे में घोषणा पत्र में किए वादे कैसे पूरे हो पाते। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार ने साढ़े चार साल जनता को सिर्फ आहत ही किया है अब चुनावी साल में राहत कैंप लगाकर जनता को गुमराह कर रही है। अगर बिजली बिलों में सरकार को बढ़ोतरी करनी थी, तो राहत कैंप लगाकर क्या साबति करना चाह रही है। पब्लिक है सब जानती है।

जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने वर्ष 2018 में वादा किया था कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो प्रदेश की जनता पर एक पैसे भी बिजली बिल बढ़ोतरी का भार नहीं डालेंगे। लेकिन कोरोना काल के दौरान फ्यूल चार्ज का बढ़ाना और लगातार बिजली बिलों में सरचार्ज के रूप में बढ़ोतरी करना इस बात को इंगित करता है कि राजस्थान सरकार अपने वादे से मुकर गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वादा करके सत्ता में आने के बाद हमेशा से ही जनता से वादाखिलाफी करती आ रही है। आमजन और जन भावनाओं से जुड़े मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सदैव जागृत है और सरकार के खिलाफ आंदोलन करके उसे अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए बाध्य करेगी।

अजमेर में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई होने को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए कहा यह उनका अंदरूनी मामला है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा किन्तु इस प्रकार की घटनाओं से प्रदेश की जनता का अहित होता है।

जन-जन को दीवार लेखन से जोड़कर घर-घर पहुंचेगी भाजपा : राजेंद्र राठौड़

- **दीवार लेखन से बूथ सशक्त करेगी भाजपा : सी.पी. जोशी**

जयपुर। भाजपा प्रदेश भर में आज दीवार लेखन का कार्य का शुभारंभ किया गया। इस दीवार लेखन के माध्यम से भाजपा हर बूथ तक कमल का फूल और प्रदेश भाजपा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी और प्रदेश की भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को बेनकाब करने का कार्य अपने स्लोगनो के द्वारा करेगी।

इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि जन-जन को दीवार लेखन से जोड़कर भाजपा घर-घर पहुंचेगी। वहीं सी.पी.जोशी ने कहा कि दीवार लेखन से भाजपा बूथ सशक्त करेगी।

भाजपा प्रदेश प्रचार प्रसार विभाग के सह संयोजक राजेश तांबी ने बताया कि प्रदेश भर में दीवार लेखन का कार्य का शुभारंभ हुआ। चित्तौड़गढ़ में प्रदेश अध्यक्ष सी पी जोशी, सिविल लाइंस जयपुर में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, टोंक में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, बांसवाड़ा में उप नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनियां, भरतपुर में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, डूंगरपुर में सांसद कनक मल कटारा एवं राजसमंद में प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा, जालौर-सिरोही में विधायक जोगेश्वर द्वारा आज दीवार लेखन कर इस अभियान का शुभारंभ किया गया। आगामी दिनों में प्रदेश भाजपा के तमाम विधायक, सांसद, प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा हर बूथ पर दीवार लेखन कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को बेनकाब किया जाएगा।

इन कार्यक्रमों में प्रचार-प्रसार विभाग के प्रभारी अशोक सैनी, संयोजक निर्मल शर्मा ,सह संयोजक मनोज शर्मा की भी उपस्थिति रही।

राज्यपाल को "द साइबेरियन स्ट्रे" की प्रति भेंट

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र को गुरुवार को राजभवन में कक्षा बारहवीं में अध्ययनरत आशी गालरिया और अस्मी ढाकर ने संयुक्त रूप से लिखी अपनी पुस्तक "द साइबेरियन स्ट्रे" की प्रथम प्रति भेंट की।

राज्यपाल मिश्र ने आशी और सह लेखिका की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामना दी। पुस्तक लेखक आशी गालरिया ने बताया कि उनकी यह पुस्तक जानवर और मनुष्य के प्रेम से जुड़ी मार्मिक कथा है। उसने बताया कि इसमें बच्चे एलन और उसके पालतू कुत्ते सफायर के रिश्तों के आलोक में कहानी के अनूठे सूत्र पिरोए गए हैं।

मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब कोई आदिवासी बेटी तरक्की करती है : डॉ. पूनियां

- **वागड़ अंचल में डॉ. सतीश पूनियां 'गंगाजल विशाल कलश यात्रा' में पैदल चलकर शामिल हुए, कहा, इतनी बड़ी संख्या में आदिवासी भाई-बहन मुझे आशीर्वाद देने आये**
- **बांसवाड़ा के बारी में कलश यात्रा में 21 हजार लोगों का जनसैलाब उमड़ा, मातृ शक्ति ने 11 हजार कलशों के साथ निकाली कलश यात्रा**

बांसवाड़ा/जयपुर। वागड़ अंचल में सुदूर जनजाति क्षेत्र बांसवाड़ा के छोटी सरवन में बारी गाँव में राजस्थान विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष व भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ.सतीश पूनियां पूर्व मंत्री और जनजाति के वरिष्ठ नेता दलीचंद मईडा और युवा नेता परमेश्वर मईडा द्वारा आयोजित 'गंगाजल विशाल कलश यात्रा' के भव्य आयोजन में सम्मिलित हुये।

इस दौरान उन्हें बेणेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री अच्युतानंदन महाराज सहित भारी संख्या में पधारे जनसैलाब का आशीर्वाद मिला। बारी में भव्य धार्मिक कार्यक्रम व गंगाजल कलश यात्रा में लगभग 21 हजार लोगों का जनसैलाब उमड़ा और मातृ शक्ति ने 11 हजार कलशों के साथ कलश यात्रा निकाली, जिसमें सतीश पूनियां विशाल जनसमुदाय के साथ कई किलोमीटर पैदल चलकर कलश यात्रा में शामिल हुये।

संबोधित करते हुये डॉ. पूनियां ने कहा, पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व के निर्देश पर 21-22 दिन कर्नाटक चुनाव प्रचार में था, फिर राजस्थान आकर पार्टी की गतिविधियों में लगा रहा और खुद के क्षेत्र में लगा था। मुझे यहां आकर आनंद की अनुभूति हुई कि इतनी बड़ी विराट संख्या में आदिवासी भाई-बहन मुझे आशीर्वाद देने पधारे, अपनी आस्था को तो आपने प्रबल किया ही है, मेरे जैसे राजनीति और समाज के व्यक्ति को आप लोगों ने और ऊर्जा से भरपूर कर दिया है। पूनियां ने लोगो से आग्रह करते हुए कहा कि समय बदल गया है, आज पढ़ाई का, संस्कार का, अपने धर्म के प्रति मजबूती से डटे रहने और व्यसन मुक्ति का संकल्प लेने का समय है। हम सब धर्म के लोग, समाज के लोग, राजनीति के लोग आप सबकी खुशहाली, उन्नित, सम्पन्नता और तरक्की के लिये तैयार हैं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनजाति समाज के विकास के लिये प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। मैं संकल्पित हूं कि मेरी वाणी और कलम जनजाति के बहनों-भाइयों के उत्थान के लिये चलेगी।

उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगा कि आज गंगा मैया की महिमा के अवसर पर आप सब लोगों के दर्शन का सौभाग्य मिला। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब कोई आदिवासी बेटी पढ़-लिखकर तरक्की करती है, सरकार और प्रशासन का हिस्सा बनकर प्रदेश और देश की उन्नित में योगदान देती है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष गोविंद राव, विधायक कैलाश मीणा, धर्मेंद्र राठौड़, प्रधान निर्मला मकवाना, कानहिंग रावत, बलबीर रावत, हकरू मईडा, राजेश कटारा, दीप सिंह वसुनिया, सोनिया वैष्णव, कांतिलाल अहारी, जिला उपाध्यक्ष नरेन्द्र वैष्णव, जिला महामंत्री लाल सिंह पाटीदार, जगमाल सिंह इत्यादि उपस्थित रहे।

यात्री सुविधा समिति ने रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया

जयपुर, (का.सं.)। पी. के. कृष्णा दास, चेयरमैन, यात्री सुविधा समिति तथा सदस्य ने उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल के दौरे के दौरान 17 से 18 तक सीकर, रींगस, गांधीनगर जयपुर एवं जयपुर स्टेशनों का निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं का जायजा लिया तथा दिशानिर्देश प्रदान कर उन्हे और बेहतर बनाने पर बल दिया।

निरीक्षण के दौरान समिति ने सीकर व रींगस रेलवे स्टेशन पर सफाई व्यवस्था के साथ-साथ खानपान इकाईयों, वेटिंग रूम, बुकिंग सुविधा, पेयजल की उपलब्धता व गुणवत्ता, शौचालय की सुविधा इत्यादि का निरीक्षण किया। उनके द्वारा स्टेशन पर प्रस्तावित विकास कार्यों आदि के बारे में भी रेल अधिकारियों से जानकारी ली गई तथा इस संबंध में उनसे चर्चा भी की गई। समिति के चेयरमैन व सदस्यों द्वारा स्टेशनों पर यात्रियों से चर्चा करके उपलब्ध यात्री सुविधायों का फीडबैक भी लिया गया जिसमें यात्रियों द्वारा संतोष व्यक्त किया गया।

यह समिति यात्री सुविधाओं का जायजा लेने एवं उनमे सुधार के उद्देश्य से प्रति वर्ष देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों का दौरा करती है जिससे यात्री सुविधायों में विस्तार करके यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान किया जा सके।

समिति के सदस्यों ने मंडल रेल प्रबंधक, जयपुर नरेन्द्र एवं अन्य रेल अधिकारियों के साथ बैठक कर मण्डल के स्टेशनों पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की। मंडल रेल प्रबंधक ने समिति के चेयरमेन व सदस्यों का स्वागत करते हुये कहा कि विगत समय में जयपुर मंडल ने यात्री सुविधाओं के लिये विभिन्न कार्य किये है एवं समयपालन, आधारभूत संरचना को सुदृढ बनाने, विद्युतीकरण, यात्री सुविधाओं, स्टेशन रि-डेवलपमेंट कार्यों के बारे में जानकारी साझा की। यात्री सुविधा समिति चेयरमैन व सदस्यगणों ने उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल द्वारा यात्रियों के लिये किये जा रहे कार्यों पर संतोष व्यक्त किया तथा यात्री कार्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के लिये विशेष प्रसन्नता जाहिर की।

निरीक्षण के दौरान अपर मंडल रेल प्रबंधक (ऑ.) संजीव दिक्षित, मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. सीमा विश्नोई, स्टेशन निदेशक गुलाब चंद गुप्ता,सहायक वाणिज्य प्रबंधक दीपक चौधरी सहित रेलवे के अन्य अधिकारीगण व कर्मचारी उपस्थित रहे।

परिसर खाली करवाकर मंदिर को कब्जा सुपुर्द करने के आदेश

जयपुर, (का.सं.)। किराया अधिकरण, महानगर द्वितीय ने सेल अमीन को निर्देश दिए हैं कि वह मंदिर श्री गिरधारी जी से जुड़ी जमीन का कब्जा लेकर डिक्रीदार को दिलाया जाए। जमीन पर निर्माण रोकने पर परेशान होकर अप्रार्थी के पुत्र रामप्रसाद ने गत दिनों सुसाइड कर लिया था।

अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि यदि परिसर में ताला लगा हो तो उसे तोड़कर कब्जा लिया जाए और यदि इस दौरान सामान मिले तो उसे अप्रार्थी रामकिशोर को सौंपा जाए। वहीं यदि अप्रार्थी मौजूद ना हो तो सामान की सूची बनाकर डिक्रीदार को सुपुर्द किया जाए। अधिकरण ने यह भी कहा है कि यदि मौके पर कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति हो तो संबंधित थानाधिकारी से संपर्क कर पुलिस सुरक्षा ली जाए। अदालत ने यह आदेश मंदिर श्री गिरधारी की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर दिए।

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि प्रकरण में किराया अधिकरण ने 13 अक्टूबर, 2008 को अंतिम आदेश पारित किया था। इसके बाद अप्रार्थी ने हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त, 2017 को आदेश जारी कर 30 जून 2018 तक परिसर खाली करने का समय दिया था। अप्रार्थी ने किराया अधिकरण के समक्ष इजराय की कार्रवाई में परिसर खाली करने को लेकर अपनी अंडरटेकिंग भी दी थी, लेकिन अभी तक परिसर का कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द नहीं किया गया है। गौरतलब है कि रामकिशोर के परिजनों ने वर्ष 2017 में स्टेट ग्रांड का पट्टा भी जारी करवा लिया था।

चौबीस ड्रग्स माफिया गिरफ्तार

जयपुर। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने जयपुर में ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 11 महिलाओं समेत 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 01 किलो 605 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा, 1.40 ग्राम स्मैक, बिक्री की राशि 35 हजार 845 रुपये, देशी शराब 1 हजार 249 पव्वे, अंग्रेजी शराब 143 पव्वे व बीयर 175 बोतल बरामद किए गए है।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

खोया पाया

मेरे आवास 518,बालाजी एन्क्लेव बी, ग्राम प्रहलादपुरा, सांगानेर, जयपुर के मूल विक्रय पत्र जो की जगदीश नारायण शर्मा गोपाल लाल शर्मा के पक्ष में एवं अशोक कुमार अग्रवाल के पक्ष में निष्पादित थी दोनों मूल सेल डीड रामचन्द्रपुरा उद्योगिक क्षेत्र में खो गई है मिलने पर सूचित करें अशोक कुमार अग्रवाल 9166765040

राजस्थान आवासन मंडल का आवास संख्या 65/116, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर का मूल अलोटमेंट कम पजेशन लेटर कहीं गुम हो गया है मिलने पर सूचित करे। जितेन्द्र लाडवानी 9983703166

मेरा प्लॉट नं.16, स्कीम धर्मपार्क, जयपुर का न्यू पिंकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा जारी ओरिजनल रसीद कहीं खो गई है मिलने पर सूचित करें। सीमा मून्दडा 9829549999

मेरी दसवीं CBSE से जारी मार्कशीट रोल नंबर 1158991 कहीं खो गई है मिलने पर सूचित करें यश राज माथुर पुत्र विनोद माथुर मोबाइल- 8114425350

मेरा मकान सं. 265/106-बी, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर का मूल कागज (आवंटन पत्र, कब्जा पत्र, नोड्यूज) कहीं गुम हो गये है। मिलने पर सम्पर्क करें। Smt. Chanda Devi-7691084981

मेरे आवास सख्या 4-ग-18 नाहरी का नाका, जयपुर के सभी मूल प्रपत्र कहीं खो गये है। मिलने पर सूचित करें, मोबाइल 9314501787

आम सूचना दि. 16.05.2023

हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री लादू राम शर्मा पुत्र श्री गणेश नारायण शर्मा जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम कौशल्या दास की बावडी, मोहब्बतपुरा, जिला जयपुर के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 583, 581, 582, 584, 611, 590, 591, 596, 597, 607, 610, 617, 618, 648, 649, 674, 675, 689, 692, 708, 765, 766, 769, 691 कुल रकबा 9.3701 हैक्टेयर ग्राम बावडी कौशल्यादास, पटवार हल्का मोहब्बतपुरा, तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर में स्थित है, जिसमे मेरे अभिभाष्य का अविभाजित हिस्सा 1/3 जमाबन्दी में दर्ज है एवं ग्राम बासडी जोगियान, पटवार हल्का बासडी जोगियान, तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 1069, 1071, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1102, 1118, 1119, 1120 कुल रकबा 5.2224 हैक्टेयर में से अविभाजित हिस्सा 1/8 की खातेदारी मेरे अभिभाष्य के नाम जमाबन्दी में दर्ज है। मेरे अभिभाष्य ने उक्त वर्णित आराजीयात् के अधिकारो को हस्तान्तरित करने हेतु कोई सौदा, करार, ईकरारनामा, विक्रय पत्र, मुख्तयारनामा, दान, वसीयत आदी किसी भी व्यक्ति, कम्पनी, संस्था, प्रतिनिधि इत्यादी के हक में निष्पादित नही किया है तथा उक्त वर्णित आराजी आज दिवस तक प्रत्येक प्रकार के ऋण, भार से मुक्त है। मेरे अभिभाष्य की उक्त वर्णित आराजीयात् के सम्बन्ध में कोई लिखावट हो तो इस आम सूचना प्रकाशन से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अविलम्ब सम्पर्क कर अवगत करा देवे। उक्त अवधि के पश्चात् प्रत्येक कार्यवाही या उर्जदारी अवैध व शून्य प्रभावी होगी। सूचित रहे। भवदीय

(अमित कुमार जैन) एडवोकेट, मो. 9214611019

NAME CHANGE

I have changed my name from khel Shanker Nath to Khel Shanker S/o Jogendra Nath for all purpose. Resi.: 3-NA-25, Jawahar Nagar, Jaipur

I have Changed my name from SARANESH SIDANA to SARANSH SIDANA S/o LT. Sh. Ashok Sidana R/o 73, Jalvayu Vihar, Sec-7, Vidhyadhar nagar, Jaipur (Raj.) 302039 for all future Purposes.

मैनें मेरा नाम बद्री सिंह नाथावत से बदलकर अभय प्रताप सिंह नाथावत रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। उदय सिंह जी की ढाणी ग्राम चतुर्भुजपुरा, निवाई, टोंक

आम सूचना हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि नरेन्द्र कुमार आसवानी का स्वामित्वसुदा व कब्जासुदा व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 7 मय निर्माण वाके मानजी का का हत्था, मण्डोर रोड़, जोधपुर में 50 वर्ग गज का स्थित है। उक्त भूखण्ड को नरेन्द्र कुमार आसवानी एवं भारतभूषण पुत्रान हरिकिशनजी ने किशन नाडोला से बेचाननामा दिनाक 25-10-2001 का खरीद किया था जो बेचाननामा उप पंजीयक द्वितीय जोधपुर के यहां 27-11-01 को पुस्तक सं. प्रथम, जिल्द संख्या 276 पृष्ठ 192 की क्रम संख्या 3828 पर पंजीबद्ध है। तत्पश्चात् भारतभूषण ने उक्त भूखण्ड का अपना 1/2 अविभाजित हिस्सा नरेन्द्र कुमार आसवानी के पक्ष में हक तर्क कर दिया जो हकतर्कनामा उप पंजीयक द्वितीय जोधपुर के कार्यालय में 24-3-2006 को पुस्तक संख्या प्रथम, जिल्द संख्या 498, पृष्ठ संख्या 44, क्रम संख्या 2006003846 पर पंजीबद्ध है। उक्त व्यावसायिक भूखण्ड के असल दस्तावेजों में से असल बेचाननामा दिनांक 25-10-2001 गुम हो चुका है, जिसकी ओनलाईन गुमसुदगी रिपोर्ट एल आर नम्बर 1524430/2022पर दिनाक 1-8-2022 को दर्ज है तथा काफी ढूंढने के बाद भी आज दिन तक नहीं मिला है। अतः गुम हुये दस्तावेज किसी भी व्यक्ति को मिले हो व व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 7 पर नरेन्द्र कुमार आसवानी के स्वामित्व व कब्जा बाबत किसी भी व्यक्ति व संस्था को किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति हो तो 15 (पन्द्रह) दिवस के अन्दर-अन्दर मय दस्तावेज अद्योहस्ताक्षरकर्ता से नीचे लिखे पते पर कार्यालय समय में मय दस्तावेज आकर सम्पर्क करें अन्यथा बाद गुजरने म्याद कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी व अग्रिम कार्यवाही कर दी जाएगी, सो सूचित रहे। अशोक शर्मा (एडवोकेट) (R/1581/2005) मकान नं.-778, अग्रसेन बगेची के पास वाली गली, पांचवी रोड़ चौराहे के पास, चौपासनी रोड़, जोधपुर मोबाईल-9929070315 व 7877482515

न्यायालय सिविल न्यायाधीश,
बामनवास, जिला-सवाई माधोपुर
नोटिस आदेश 01 नियम 08 सी.पी.सी

आम जनता माली समाज ग्राम लिवाली के प्रतिनिधि रामकरण पुत्र छीतर गिर्राज पुत्र प्रभु, रामकेश पुत्र कजोड़, सुमत पुत्र चिरंजी, आनन्दा पुत्र रामसहाय, गिर्राज पुत्र कन्हैया, नानगराम पुत्र नाथू सभी जाति मालीयान निवासी लिवाली तहसील बामनवास ने एक बाद-पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर 2385, 2387 ग्राम लिवाली में सदैव से शमशान भूमि के काम में आती रही है तथा उक्त भूमि बावत् आमजन के हितार्थ प्रतिनिधि वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति अथवा संस्था उक्त प्रकरण में हित रखते हो तो प्रकरण में पक्षकार वन सकते हैं इस बावत् न्यायालय में दिनांक 20 मई 2023 को समय 7.30 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें।

आज दिनांक 16 मई 2023 को यह नोटिस हर खास आम को मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर — सिविल न्यायाधीश बामनवास

प्रपत्र सं. 7 (देखिए नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
मुकदमा नं. 66/2023 **आम सूचना** दिनांक: 16.03.2023
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि सुश्री अदिति अग्रवाल पुत्री श्री रघुनाथ प्रसाद अग्रवाल निवासी 1/597, सेक्टर-1, विद्याधर नगर, जयपुर-302029 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रेम फाउण्डेशन, प्लॉट नं. बी-88, फ्लैट नं. एस-1, सुदामापुरी, हरमाड़ा, जयपुर- 302013 जयपुर प्रन्यास के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियाँ, यदि कोई हों तो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियाँ प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जायेगा।

आज दिनांक 16.03.2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइंदा तारीख पेशी- 26.05.2023

रतनलाल योगी (आर.ए.एस.)
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

आम सूचना

मैं लक्ष्मण प्रसाद जाति जाट निवासी शेरपुर तहसील-हिंडौन जिला-करौली (राजस्थान) घोषणा करता हूं कि मेरे पुत्र सुरेंद्र सिंह का चाल चलन सही नहीं है। वह गलत लोगों की संगत में है और मेरे कहने- सुनने से बाहर है। इसलिए मैं अपने पुत्र सुरेंद्र सिंह को अपनी चल - अचल संपत्ति से बेदखल करता हूं। अगर कोई भी व्यक्ति उससे लेन-देन करता है तो उसका वह स्वयं जिम्मेदार होगा एवं उसके द्वारा किए गए किसी भी कृत्य के लिए भी वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

कार्यालय ग्राम पंचायत सुनारी, पंचायत समिति-सवाई माधोपुर
जिला-सवाई माधोपुर

क्रमांक-4 दिनांक-10-5-2023

ई-निविदा सूचना संख्या-01/2023-24

वर्ष 2023-24 हेतु महात्मा गांधी नरेगा व ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को विभिन्न योजनाओं में कार्यो के लिए निर्माण सामग्री क्रय हेतु उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के तहत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में पंजीकृत विक्रेताओं निविदाताओं में वार्षिक दर दिनांक 31-3-2024 तक के लिये निम्नानुसार निविदा दरें ई-प्रोक्योरमेन्ट पद्धति से द्विस्तरीय तकनिकी एवं वित्तीय अलग-अलग आमंत्रित की जाती है। निविदा में संबंधित नियम शर्तें व सम्बन्धी लोक उपायन की वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखें एवं डाउनलोड किये जा सकते हैं।

NIB Code ZSM2324A0047
UBN NO ZSM2324GLOB00065

सरपंच — ग्राम पंचायत सुनारी
ग्राम विकास अधिकारी — ग्राम पंचायत सुनारी

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्न ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं ने नीचे वर्णित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का सिक्योर्ड ऋण (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) से लिया था। निम्नलिखित ऋणग्रहितओं एवं सहऋणग्रहिताओं के ऋण उनकी अपनी-अपनी सम्पत्तियों के गिरवी रखने से सुरक्षित है। क्योंकि उन्होंने अपने-अपने ऋण एग्रीमेन्टस के नियम व शर्तों की पालना नहीं की है और अनियिमित हो गये है, उनके ऋणों को आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार एनपीए वर्गीकृत कर दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशियाँ उनके पृथक नोटिस में लिखी गयी है तथा और विशेष रूप से निम्न सूचि में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे का ब्याज भी लागू होगा तथा वह उनकी अलग-अलग तिथियों से समझौते की प्रभावी दर से वसूला जायेगा।

क्रम संख्या	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के नाम	सैक्शन 13(2) के नोटिस की तिथि	सैक्शन 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति का पता
1	40467912	सम्पत्ति पर ऋण	1. कजोड मल बारेठ 2. अजय कुमार	04.05.2023	4,14,465.01/-	ई.डब्लू.एस. फ्लैट नं. ओ-3/एफएफ/102, क्षेत्रफल 34.60 वर्ग मीटर (372 वर्ग फिट), स्कीम-बीएसयूपी स्कीम, ग्राम-जयसिंहपुरा वास बांखरोटा, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर, राजस्थान-302026 का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमाये है- पूर्व-फ्लोर प्लान के अनुसार, पश्चिम-फ्लोर प्लान के अनुसार, उत्तर-फ्लोर प्लान के अनुसार, दक्षिण-फ्लोर प्लान के अनुसार

आपको एतद्द्वारा, इस प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर, ऊपर सूचि में दर्शायी राशियों को उनकी प्रथम तिथि से, उस पर लगे आगे के समझौते में ब्याज दर तथा अन्य खर्चों, चार्ज आदि सहित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को भुगतान करने को कहा जा रहा है, यदि ऐसा नहीं हुआ, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को, एसएआरएफएइएसआई एक्ट के सैक्शन 13(4) तथा सैक्शन 14 के तहत, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशि वसूल करने के लिये, गिरवी रखी सम्पत्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिये बाध्य होना पडेगा/इसके अलावा उक्त एक्ट के सैक्शन 13 (13) के तहत आप उक्त सम्पत्तियों को बिक्री/लीज अथवा किसी अन्य प्रकार से ट्रांसफर नहीं करने के लिये प्रतिबंधित है।

ह./-
दिनांक- 19.05.2023 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान- जयपुर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य नरेन्द्र कुमार मेहता पुत्र स्व. श्री केसरी सिंह मेहता, निवासी एल 4 ए, कृष्णा मार्ग सी-स्कीम, जयपुर के स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 3849, 3850, 3854, 3855/2, 3856/3, 3857, 3858, 3860, 3873, 3874, 3875, 3876, 3877 कुल किता 14 कुल रकबा 5.14 हैक्टयर ग्राम खो-नागोरियान तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है इस भूमि पर नागरिक गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा आवासीय आंवटन पत्र जारी कर दिए गए है तथा केसर वाटिका के नाम से कॉलोनी काट दी गई है और 25 प्रतिशत व्यक्तियों ने बिना मेरे अभिभाष्य की सहमति के अपने रिहायशी मकान बना लिये है। मेरे अभिभाष्य के द्वारा आज तक उक्त जमीन को किसी प्रकार की सोसायटी, कम्पनी व प्लॉट होल्डरों को बेचान नहीं किया है उक्त जमीन आज भी मेरे अभिभाष्य के स्वामित्व की जमीन रिकॉर्ड में दर्ज है। इन प्लॉट होल्डरों ने एक फर्जी विकास समिति बनाकर मेरे अभिभाष्य की जमीन को खुर्द-बुर्द कर रहे है इसलिए इस विकास समिति के पदाधिकारियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है इसलिए मेरे अभिभाष्य के द्वारा न्यायालय महानगर मजि. क्रम- 17 जयपुर महानगर सांगानेर प्रथम कोर्ट स्टे यथास्थिति का दिनांक 23.01.2022 को ले लिया है जिसकी सूचना प्लॉट होल्डर व सोसायटी व जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. को दे दी गई है जिसके जवाब में कहा गया है कि आज के बाद हम किसी भी प्रकार का लाईट कनेक्शन जारी नहीं करेंगे। कोर्ट स्टे होने के बावजूद भी लाईट के कनेक्शन जारी किये जा रहे है और सोसायटी के द्वारा पट्टे ट्रांसफर व प्लॉट होल्डरों द्वारा मकान का निर्माण किया जा रहा है इससे मेरे अभिभाष्य का कोई लेना-देना नहीं है। आज तक जो कार्यवाही की गई है उसे गैर कानूनी व निरस्त माना जावे। मेरे अभिभाष्य के द्वारा विद्युत मंडल, सोसायटी व प्लॉट होल्डरों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है जिसके हर्जे-खर्चे व परिणामों की जिम्मेदारी उक्त सभी की होगी। सूचित रहे। भवदीया

भावना साधनानी एडवोकेट, मो. 8239333387

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 302/23

विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी नाम - (1) गजानन्द पुत्र स्व.श्री छोटू उर्फ छोटे लाल (2) मुन्नी पुत्री स्व.श्री छोटू उर्फ छोटे लाल (3) सूरज देवी पत्नी स्व.श्री छोटू उर्फ छोटे लाल समस्त जाति ब्राह्मण, समस्त निवासीयान शिकारपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर

विवाद स्थान-संयुक्त शामलाती आराजी कृषि भूमि खाता नया संख्या 262 खाता संख्या पुरा 254 के खसरा नंबर 463, रकबा 0.0700 हैक्टेयर, वाके ग्राम शिकारपुरा, पटवार हल्का शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

मृतक-छीतर उर्फ छोटू उर्फ छोटे लाल पुत्र श्री धन्ना की संपत्ति के विषय में।

पेशी दिनांक 03.07.2023

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक नाम छीतर उर्फ छोटू उर्फ छोटे लाल पुत्र श्री धन्ना, जाति ब्राह्मण, निवासी शिकारपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 03 माह जुलाई, सन् 2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 18 माह 05 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

मोहर अदालत — अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या-11, जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर

न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सांभर लेक जिला जयपुर

वाद सं. 33/21

रमेश चन्द बनाम गोपाल लाल वगै.

वाद बाबत घोषणा अंतर्गत धारा 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम

बनाम आम जनता व आम

उपरोक्त वाद गोपाल लाल पुत्र बिरमाराम बलाई जाति बलाई निवासी-रोजडी तहसील फुलेरा जिला जयपुर के लापता हो जाने से उसकी मृत्यु की उपधारणा कर सिविल मृत्यु घोषित किये जाने के सम्बन्ध में पेश किया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति उक्त मृत्यु के सम्बन्ध में एतराज/आपत्ति रखता है तो इस न्यायालय में दिनांक 23.05.2023 से पूर्व प्रस्तुत करें।

अतः आज दिनांक 11.05.23 को मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

मोहर अदालत — सिविल न्यायाधीश न्यायिक सांभर लेक, जयपुर